न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी— श्री राजेन्द्र विजय (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 3/2020

बउनवान

गिरधारीलाल आयु 40 साल पुत्र केदारलाल पुत्र श्री बिशना जाति धाकड़ निवासी ग्राम उण्डा तहसील बारां जिला बारां **(अपीलांट)**

बनाम

1. बिशना पुत्र औंकार (मृतक)
1/1 मोहनीबाई पुत्री श्री बिशना आयु 51 साल पत्नि श्री गोरधन जाति धाकड़ निवासी उण्डा हाल नाकोड़ा कॉलोनी बारां तह0 बारां जिला बारां
1/2 दुर्गाशंकर पुत्र बिशना जाति धाकड़ निवासी उण्डा तहसील बारां
1/3 राममूर्ति पुत्री श्री बिशना पत्नि राधेश्याम जाति धाकड़ निवासी ग्राम उण्डा हाल नयागांव जगदीशपुरा तह0 खानपुर जिला झालावाड़
2. द्रोपदी बाई पत्नि मदनलाल जाति धाकड़ निवासी उण्डा तह0 बारां जिला बारां **(रेंस्पोडेंटगण)**
3. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 352 दिनांक 08.07.2018 ग्राम उण्डा तह0 बारां

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज0)

उपस्थिति :— 1. श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. श्री सिमरनजीत सिंह अभिभाषक **(रिस्पो. कम–1/1)**
3. श्री ओमप्रकाश मेहता II अभिभाषक **(रिस्पो. कम–1/2 ता 2)**

निर्णय दिनांक 30.09.2021

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया नामान्तकरण संख्या 352 दिनांक 08.07.2018 विधि विरूद्ध होने तथा न्याय कानून एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा ग्राम उण्डा की आराजी खसरा नंबर 392 रकबा 0.30 है, 393 रकबा 0.52 है., 394 रकबा 0.53 है., 395 रकबा 0.15 है., 396 रकबा 0.16 है. कुल किता 5 रकबा 1.66 है. के 1/2 हिस्से पर जो अपीलांट की पुश्तैनी सम्पत्ति है में अपीलांट का 1/5 हिस्सा पृथक कराने हेतु एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां के यहां प्रकरण संख्या 109/2017 विचाराधीन [illegible] के पक्ष में स्थगन आदेश मि0 कमांक 55/2017 दिनांक 18.09.2017 द्वारा जवाब पेश [illegible] रहन बेचान रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान [illegible] न्यायालय द्वारा उक्त स्थगन आदेश के बावजूद इंतकाल कमांक 352 दि. 08.07.2018 को तस्दीक किया गया जो विधि विरूद्ध होने तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने [illegible] किये जाने योग्य है। अपीलांट के पिता द्वारा पुश्तैनी सम्पति में अपने हिस्से से [illegible] आराजी का बेचान किया गया था जिसका अंकन पटवारी द्वारा दिनांक 28.08.2017 को किया गया परन्तु उसके बाद अपीलांट द्वारा प्राप्त उक्त स्थगन आदेश की जानकारी होने के बावजूद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.11.10 10:49:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर

दिनांक 08.07.2018 को उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित इंतकाल क्रमांक 352 दिनांक 08.07.2018 ग्राम उण्डा निरस्त फरमाया जावें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेटगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंट क्रम–1/1 तथा 1/2 ता 2 जर्ये पृथक पृथक अभिभाषक उपस्थित हुये।

रेस्पो0 क्रम 1/2 ता 2 की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रार्थना पत्र धारा 10 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी इस आशय का पेश हुआ कि अपील से सम्बन्धित आराजीयात के संदर्भ में सक्षम न्यायालय में मूल वाद जैरकार है ऐसी स्थिति में अपील पर विधिसम्मत रूप से किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई किया जाना संभव नहीं है। अपीलांट को किसी भी प्रकार के कोई उज्रात है तो उसे वाद में ही उठाया जाना चाहिये पृथक से अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में मूल वाद के निस्तारण तक अपील की कार्यवाही स्थगित रखा जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अपील की कार्यवाही मूल वाद के निस्तारण तक स्थगित किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक इस आशय का पेश हुआ कि उक्त इंतकाल के खुल जाने से अपीलांट को अपरिमित क्षति हुई है जिसकी भरपाई संभव नहीं है। चूंकि उक्त प्रकरण में स्थगन होने के बावजूद इंतकाल तस्दीक किया गया है इस कारण उक्त अपील विधितः पोषणीय है। धारा 10 सीपीसी सिर्फ दावे पर लागू होती है इसका अपील पर कोई असर नहीं है इस कारण प्रार्थना पत्र विधि द्वारा पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्त फरमावे।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र नियत तिथि दिनांक 01.02.2021 को पेश किया गया तथा इसी तिथि तक अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त हो गया ऐसी स्थिति में हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मूल अपील पर बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी। प्रार्थना पत्र 10 सी.पी.सी.पर बहस के दौरान रेस्पोडेंट अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण से संबंधित अधिकारों की घोषणा का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां में विचाराधीन है, जो अपीलांट द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है, में ही अधिकारों का निर्धारण किया जाना संभव है। इंतकाल अपील समरी ट्रायल है जिसमें अधिकारों का निर्धारण संभव नहीं है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक अपील की कार्यवाही स्थगित रखा जाने के आदेश प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.11.10 10:49:13 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने जवाब प्रार्थना पत्र धारा 10 सपठित धारा 151 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि धारा 10 सीपीसी के प्रावधान मूल वाद पर लागू होते हैं अपील पर इसका कोई असर नहीं होता। अतः रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

मूल अपील पर बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में अपीलांट ने पुश्तैनी आराजी बाबत वाद पेश किया है। प्रस्तुत वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा दिनांक 18.07.2017 को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति व रहन बय बाबत स्थगन आदेश हो जारी किया जिसके लगभग 11 माह पश्चात स्थगन आदेश की जानकारी होने के बावजूद दिनांक 08.07.2018 को अपीलाधीन इंतकाल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया। इस इंतकाल के खुलने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद में अपीलांट को अपरिमित क्षति हुई है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त फरमाया जावे।

मूल अपील पर बहस के दौरान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि खातेदार ने भूमि पार्टली बेची है सम्पूर्ण भूमि का बेचान नही किया है। अपीलांट के हिस्से से ज्यादा भूमि मौके पर शेष है। साथ ही कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में जैरकार वाद में रेस्पो० पक्षकार नहीं है तथा जब विवादित आराजीयात से सम्बन्धित वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में जैरकार है तो विधिसम्मत रूप से अपील पर सुनवाई किया जाना संभव नहीं है। इंतकाल अपील समरी ट्रायल है जिसके माध्यम से अधिकारों का निर्धारण किया जाना संभव नहीं है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक अपील की कार्यवाही स्थगित फरमायी जावे। अपने कथन के समर्थन में वकील रेस्पो० ने विधि दृष्टांत आरबीजे (13) 2006 पृष्ठ संख्या 366 से 369 बउनवान सीताराम बनाम भैरू की छायाप्रति पेश की।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया इससे पाया जाता है कि पक्षकारान के मध्य प्रश्नगत आराजी के संबंध में घोषणा का वाद व प्रार्थनापत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में विचाराधीन है तथा नामान्तकरण अपील एक समरी ट्रायल व फिसकल (Fiscal) कार्यवाही है। पक्षकारान के मूल अधिकार विचाराधीन वाद में ही तय होंगे।

अतः नामान्तकरण दावा विचाराधीन रहने तक यथावत रहेगा। साथ ही रेस्पोडेंटगण को जर्ये निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि प्रश्नगत आराजी को रहन बेचान या अन्य प्रकार से खुर्द बुर्द ना करें।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2021 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.11.10 10:49:13 IST
Reason: SelfAttested